न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या :– 85/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जयरूपराम पुत्र मूलाराम जी जाति जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील लूणी जिला जोधपुर		01. स्व. गंगाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामान् 1/1 भंवरलाल पुत्र स्व. गंगाराम 2/1 रमेश पुत्र स्व. गंगाराम 3/1 इन्द्रा पुत्री स्व. गंगाराम 4/1 संतोष पुत्री स्व. गंगाराम 5/1 विमला पुत्री स्व. गंगाराम जातियान जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील लूणी। 2 मांगीलाल पुत्र मगाराम 3 लूणाराम पुत्र मगाराम जी जातियान जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

01.वादीगण की और से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित

02.प्रतिवादीगण संख्या 1 के कायममुकामान की और से ईश्वर सिंह उपस्थित।

03.शेष प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 02-4-2025

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.09.2022 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.01.2025 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम नंदवान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 298 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 59 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 323 रकबा 52 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 3 कुल रकबा 154 बीघा 10 बिस्वा में सहखातेदार काश्तकार है एवं भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज में है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.01.2025 मय मौका फर्द दिनाक 27.12.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है : –

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

क.स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	1 स्व. गंगाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामान् 1/1 भंवरलाल पुत्र स्व. गंगाराम 2/1 रमेश पुत्र स्व. गंगाराम 3/1 इन्द्रा पुत्री स्व. गंगाराम 4/1 संतोष पुत्री स्व. गंगाराम 5/1 विमला पुत्री स्व. गंगाराम जातियान जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील लूणी।	322 323	5.0485 3.2880		बारानी प्रथम बारानी प्रथम
		02	8.3365		
B	जयरूपराम पुत्र मूलाराम जी जाति जाट साह देह	298 323 322	6.9201 0.1376 1.2788		बारानी प्रथम बारानी प्रथम बारानी प्रथम
		03	8.3365		
C	मंगीलाल पुत्र मगाराम 1/2 लूणाराम पुत्र मगाराम 1/2 जाति जाट सा. देह	322 323	3.2880 5.0485		बारानी प्रथम बारानी प्रथम
		02	8.3365		

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण खातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 27.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 16.02.2023 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 85 / 2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जयरूपराम पुत्र मूलाराम जी जाति जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील लूणी जिला जोधपुर		01. स्व. गंगाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामान् 1/1 भंवरलाल पुत्र स्व. गंगाराम 2/1 रमेश पुत्र स्व. गंगाराम 3/1 इन्द्रा पुत्री स्व. गंगाराम 4/1 संतोष पुत्री स्व. गंगाराम 5/1 विमला पुत्री स्व. गंगाराम जातियान जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील लूणी। 2 मांगीलाल पुत्र मगाराम 3 लूणाराम पुत्र मगाराम जी जातियान जाट निवासी गांव नंदवाण तहसील 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 85 / 2021 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 27.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

नीज..मुबलिक..............................बाबत...................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक....................
...................................को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02-4-25 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्आम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी